ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 169-172**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

भारत में जेंडर बजटः 25 वर्षों का विश्लेषण, प्रवृत्तियाँ और लैंगिक समानता हेतु नीतिगत दिशा

प्रतिमा सिंह
सहायक प्राध्यापिका– समाजशास्त्र विभाग, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ0प्र0) भारत

Received-11.02.2026, Revised-18.02.2026, Accepted-24.02.2026 **E-mail:me.pratima30@gmail.com**

सारांशः ***भारत में जेंडर बजटिंग का औपचारिक समावेशन वर्ष 2005–06 के केंद्रीय बजट से हुआ, जिसके बाद यह सार्वजनिक वित्त और लैंगिक न्याय के विमर्श का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण बन गया (प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), 2005)। जेंडर बजटिंग का मूल उद्देश्य महिलाओं के लिए पृथक बजट बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बजट की नीतियाँ और व्यय संरचना महिलाओं और पुरुषों पर पड़ने वाले भिन्न प्रभावों को ध्यान में रखें (Drishti IAS, 2017)। पिछले दो दशकों में भारत के जेंडर बजट का दायरा, रिपोर्टिंग तंत्र और आवंटन का आकार उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 2025–26 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजट आवंटन 4.49 लाख करोड़ रुपये और कुल बजट का 8.86 प्रतिशत बताया गया है, जो इस विषय की बढ़ती संस्थागत स्वीकार्यता को दर्शाता है (PIB, 2025)। जेंडर बजटिंग की सफलता केवल आवंटन की राशि से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस बढ़े हुए व्यय ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम–बाज़ार भागीदारी, संपत्ति–स्वामित्व और निर्णयकारी भूमिका में ठोस सुधार उत्पन्न किया है। उपलब्ध नीतिगत और विश्लेषणात्मक साहित्य इंगित करता है कि भारत में जेंडर बजटिंग ने पारदर्शिता और दृश्यता बढ़ाई है, किंतु परिणाम–आधारित मूल्यांकन, व्यय–प्रभावशीलता और संरचनात्मक लैंगिक बाधाओं को संबोधित करने में अभी पर्याप्त दूरी तय करनी शेष है (Centre for Public Policy Research (CPPR), 2024; Drishti IAS, 2017)। यह शोध–पत्र 2005–06 से 2025–26 तक के रुझानों के आधार पर भारत में जेंडर बजटिंग के विकास, उपलब्धियों, सीमाओं और भविष्य की नीतिगत प्राथमिकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य तर्क यह है कि भारत को अब "आवंटन–आधारित" जेंडर बजटिंग से आगे बढ़कर "परिणाम–आधारित" और "परिवर्तनकारी" जेंडर बजटिंग की ओर जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं, समय–उपयोग, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा में मापनीय सुधार नीति का केंद्रीय लक्ष्य बने (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2025)।***

कुंजीभूत शब्द– जेंडर बजटिंग, भारत, लैंगिक समानता, सार्वजनिक व्यय, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नीति विश्लेषण।

भूमिका– लैंगिक समानता किसी भी लोकतांत्रिक और समावेशी विकास–राज्य की आधारशिला है। यदि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित गतिशीलता, सम्मानजनक रोजगार, संपत्ति तक पहुँच और सार्वजनिक निर्णयों में भागीदारी के समान अवसर नहीं मिलते, तो आर्थिक विकास भी अधूरा रहता है। इसी पृष्ठभूमि में जेंडर बजटिंग को एक ऐसे वित्तीय–नीतिगत उपकरण के रूप में विकसित किया गया, जो यह जाँचने का अवसर देता है कि सरकार के व्यय और कर–संबंधी निर्णयों का लैंगिक प्रभाव क्या है (Drishti IAS, 2017; PIB, 2005)। भारत में जेंडर बजटिंग की यात्रा महिला सशक्तिकरण की व्यापक नीति–बहस से जुड़ी रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के स्तर पर संस्थागत प्रक्रियाएँ विकसित की गईं, जेंडर बजटिंग सेल बनाए गए, और केंद्रीय बजट में Gender Budget Statement का समावेशन किया गया (PIB, 2005; PIB, 2025)। शुरुआती चरण में यह एक नवाचारी प्रशासनिक अभ्यास था, किंतु समय के साथ यह सरकारी जवाबदेही और नीति समन्वय के मानक साधन के रूप में स्थापित हुआ (CPPR, 2024)।

वर्तमान समय में जेंडर बजटिंग की प्रासंगिकता इसलिए और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि भारत में एक ओर महिला शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा में कुछ प्रगति हुई है, वहीं दूसरी ओर महिला श्रमबल भागीदारी, वेतन–अंतर, अवैतनिक देखभाल–कार्य, सुरक्षा, डिजिटल विभाजन और संपत्ति पर नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में असमानताएँ अब भी व्यापक हैं (Drishti IAS, 2024)। ऐसे में यह आवश्यक है कि जेंडर बजट केवल "महिला कल्याण" का वित्तीय लेबल न रह जाए, बल्कि वह लैंगिक असमानताओं को कम करने का वास्तविक राजकोषीय साधन बने।

जेंडर बजटिंग की अवधारणा और स्वरूप– जेंडर बजटिंग का अर्थ सामान्यतः महिलाओं के लिए अलग बजट बनाना समझ लिया जाता है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह एक ऐसी बजट–विश्लेषण पद्धति है जिसमें नीतियों, कार्यक्रमों और व्यय–निर्णयों को इस दृष्टि से परखा जाता है कि वे महिलाओं और पुरुषों के जीवन पर कैसे अलग–अलग प्रभाव डालते हैं (Drishti IAS, 2017)। इसका उद्देश्य असमानताओं को पहचानना, प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करना, और राज्य के संसाधनों का उपयोग अधिक न्यायपूर्ण ढंग से करना है।

भारत में जेंडर बजटिंग का व्यावहारिक ढाँचा बजट दस्तावेज़ों में योजनाओं और कार्यक्रमों की लैंगिक टैगिंग पर आधारित रहा है। हालिया वर्षों में Gender Budget Statement dks Part A, Part B और Part C के रूप में प्रस्तुत किया गया है। Part A में वे योजनाएँ शामिल होती हैं जो पूर्णतः महिलाओं/बालिकाओं के लिए होती हैं; Part B में वे कार्यक्रम आते हैं, जिनमें कम–से–कम 30 प्रतिशत व्यय महिलाओं के लिए माना जाता है; और Part C में अपेक्षाकृत कम अनुपात वाले महिला–सम्बद्ध व्यय को दर्शाया जाता है (PIB, 2025)। यह वर्गीकरण जेंडर बजटिंग के बढ़ते संस्थानीकरण और बजट–रिपोर्टिंग की परिष्कृत होती संरचना को दर्शाता है।

हालाँकि, केवल योजनाओं को वर्गीकृत कर देना पर्याप्त नहीं है। यदि जेंडर बजटिंग को प्रभावी बनाना है, तो इसे संसाधन आवंटन, कार्यक्रम–डिज़ाइन, निगरानी, मूल्यांकन और परिणामों की सामाजिक समीक्षा से जोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य लेखांकन नहीं, बल्कि नीति–परिवर्तन होना चाहिए (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2017)।

भारत में जेंडर बजटिंग का संस्थागत विकास– भारत में जेंडर बजटिंग का औपचारिक आरंभ 2005–06 के केंद्रीय बजट से माना जाता है। इस अवधि में सरकार ने पहली बार बजट दस्तावेज़ों में एक पृथक विवरण देकर यह बताया कि किन योजनाओं और मदों का लाभ मुख्यतः महिलाओं को मिलता है (PIB, 2005)। इसी दौर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया और विभिन्न मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग सेल के गठन पर बल दिया (PIB, 2005)।

शुरुआती चरण में जेंडर बजटिंग का जोर मुख्यतः जागरूकता, रिपोर्टिंग और संस्थागत क्षमताओं के निर्माण पर था। कई मंत्रालयों ने अपने–अपने कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी का अनुमान लगाना आरंभ किया। इसने नीतिगत विमर्श में एक

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, क्योंकि अब महिला–सशक्तिकरण को केवल सामाजिक क्षेत्र की चिंता न मानकर वित्तीय योजना का भी विषय बनाया जाने लगा (Drishti IAS, 2017; PIB, 2005)।

समय के साथ जेंडर बजटिंग का दायरा बढ़ा। हाल के वर्षों में अधिक मंत्रालयों और विभागों ने Gender Budget Statement में भागीदारी दर्ज की। 2025–26 में 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जेंडर बजट रिपोर्टिंग किए जाने का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया अब बहु–क्षेत्रीय प्रशासनिक अभ्यास बन चुकी है (PIB, 2025)।

25 वर्षों की प्रवृत्तियाँ: आवंटन, विस्तार और संरचनात्मक बदलाव– भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआती अवधि सीमित आकार और कम संस्थागत कवरेज वाली थी, किंतु समय के साथ इसके आकार में स्पष्ट वृद्धि हुई। उपलब्ध स्रोत संकेत करते हैं कि वर्ष 2014–15 में जेंडर बजट का आकार लगभग 0.98 लाख करोड़ रुपये था, जबकि 2025–26 तक यह बढ़कर 4.49 लाख करोड़ रुपये हो गया (PIB, 2025; CPPR, 2024)। यह वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति या समग्र बजट विस्तार का परिणाम है, बल्कि जेंडर टैगिंग के दायरे के विस्तार और बहु–क्षेत्रीय योजनाओं के समावेशन को भी दर्शाती है।

इसी तरह, कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी में भी परिवर्तन देखा गया है। 2024–25 में इसका हिस्सा लगभग 6.8 प्रतिशत बताया गया, जबकि 2025–26 में यह 8.86 प्रतिशत तक पहुँच गया (PIB, 2025; Drishti IAS, 2025)। यह वृद्धि नीति–स्तर पर लैंगिक उत्तरदायित्व की बढ़ती स्वीकृति का संकेत देती है। तथापि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अतीत में लंबे समय तक जेंडर बजट का हिस्सा अपेक्षाकृत सीमित रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि संस्थागत स्थापना के बावजूद इसे उच्च राजकोषीय प्राथमिकता बनने में समय लगा (CPPR, 2024; Outlook Hindi, 2022)।

इस अवधि में एक गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में जेंडर बजट अधिकतर महिला–विशेष योजनाओं पर केंद्रित था, जबकि वर्तमान चरण में बड़े सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रमोंकृजैसे ग्रामीण विकास, पोषण, आवास, स्वास्थ्य, जल, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है (Government of India, 2026; PIB, 2025)। इस बदलाव ने जेंडर बजट को अधिक व्यापक बनाया है, किंतु साथ ही यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या सभी टैग किए गए व्यय वास्तव में लैंगिक परिवर्तन उत्पन्न कर रहे हैं या केवल प्रशासनिक श्रेणीकरण भर हैं (CPPR, 2024)।

वित्तीय वर्ष	जेंडर बजट आवंटन	महत्वपूर्ण बिंदु	स्रोत
2005-06	14,379 करोड़	2005-06 में जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से अपनाया गया	आउटलुक हिंदी, 2022; PIB, 2005
2014-15	0.98 लाख करोड़	जेंडर बजट का केंद्रीय बजट में 5.46% हिस्सा	PIB, 2025
2021-22	1.53 लाख करोड़	17 वर्षों में 10.7 गुना वृद्धि का संकेत	आउटलुक हिंदी, 2022
2023-24 (RE) / 2024-25	~2.6 लाख करोड़ (खर्च); 3.27 लाख करोड़ (आवंटित)	2024-25 में कुल केंद्रीय बजट का 6.8%	PIB, 2025; PIB, 2025
2024-25	3.27 लाख करोड़	2025-26 से पहले का बजट अनुमान	PIB, 2025; दृष्टि IAS, 2025
2025-26	4.49 लाख करोड़	कुल केंद्रीय बजट का 8.86%	PIB, 2025; दृष्टि IAS, 2025
2026-27	5.01 लाख करोड़	कुल केंद्रीय बजट का 9.37%	News on AIR, 2026; VisionIAS, 2026

क्षेत्रीय संरचना और व्यय का स्वरूप– भारतीय जेंडर बजट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका बड़ा भाग केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तक सीमित नहीं है। ग्रामीण विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएँ भी जेंडर बजट का हिस्सा बनती हैं (Government of India, 2026; PIB, 2025)। 2025–26 के संदर्भ में सरकारी विवरण से स्पष्ट है कि जेंडर बजट में महिलाओं के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएँ शामिल थीं (PIB, 2025)। यह व्यापकता सकारात्मक है, क्योंकि लैंगिक असमानता बहुआयामी होती है और उसका समाधान केवल एक मंत्रालय द्वारा संभव नहीं। उदाहरण के लिए, यदि बालिका शिक्षा पर निवेश हो लेकिन सुरक्षित परिवहन न हो, यदि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ हों लेकिन स्वच्छ पानी और पोषण तक पहुँच कम हो, या यदि कौशल प्रशिक्षण दिया जाए लेकिन देखभाल–अवसंरचना न हो, तो सशक्तिकरण अधूरा रह जाता है (Drishti IAS, 2024)। इस दृष्टि से बहु–क्षेत्रीय जेंडर बजटिंग एक आवश्यक नीतिगत दृष्टिकोण है।

फिर भी, यही व्यापकता एक विश्लेषणात्मक चुनौती भी उत्पन्न करती है। जब बड़ी राशि ऐसे सार्वभौमिक या व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों में जोड़ी जाती है, जिनका लाभ महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, तब जेंडर बजट का आकार तो बढ़ता है पर उसकी परिवर्तनकारी क्षमता स्वतः सिद्ध नहीं होती (CPPR, 2024)। इसलिए जेंडर बजट के क्षेत्रीय विश्लेषण में यह देखना आवश्यक है कि व्यय "महिला–हितैषी" है या "लैंगिक न्यायोन्मुख"।

उपलब्धियाँ और सकारात्मक परिवर्तन– भारत में जेंडर बजटिंग की पहली बड़ी उपलब्धि इसकी संस्थागत स्थायित्व है। बहुत–सी नीतिगत अवधारणाएँ समय के साथ दस्तावेज़ी औपचारिकताओं तक सीमित हो जाती हैं, किंतु जेंडर बजटिंग ने दो दशकों में स्वयं को एक स्थायी बजटीय ढाँचे के रूप में स्थापित किया है (PIB, 2005; CPPR, 2024)। इससे कम–से–कम इतना सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी व्यय पर लैंगिक दृष्टि से प्रश्न उठाना अब वैध और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है।

दूसरी बड़ी उपलब्धि पारदर्शिता में वृद्धि है। Gender Budget Statement के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किन मंत्रालयों, योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं को लक्षित आवंटन किया गया है। इससे शोधकर्ताओं, नीति–विश्लेषकों और नागरिक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

समाज को यह समझने में सहायता मिलती है कि लैंगिक समानता के नाम पर राज्य किस प्रकार के व्यय को प्राथमिकता दे रहा है (PIB, 2025; Drishti IAS, 2025)।

तीसरी उपलब्धि यह है कि जेंडर बजटिंग ने महिला सशक्तिकरण के विमर्श को "कल्याण" से "विकास" की दिशा में आगे बढ़ाया है। अब महिला–सम्बन्धी व्यय केवल संरक्षणात्मक योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आजीविका, कौशल, उद्यमिता, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता से भी जोड़ा जा रहा है (PIB, 2025; Drishti IAS, 2024)।

प्रमुख सीमाएँ और आलोचनात्मक मूल्यांकन– इन उपलब्धियों के बावजूद भारतीय जेंडर बजटिंग की कई संरचनात्मक सीमाएँ हैं। पहली सीमा यह है कि जेंडर बजट का बड़ा भाग अभी भी "इनपुट–आधारित" है, अर्थात इसमें यह बताया जाता है कि कितना पैसा आवंटित हुआ, पर यह कम स्पष्ट किया जाता है कि उससे क्या सामाजिक परिणाम प्राप्त हुए (CPPR, 2024)। यदि बजट आवंटन के बावजूद महिलाओं की श्रमबल भागीदारी, सुरक्षित रोजगार, वित्तीय स्वायत्तता, या निर्णय लेने की क्षमता में सीमित सुधार हो, तो जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

दूसरी सीमा व्यय–टैगिंग की पद्धति से जुड़ी है। कई बार ऐसी योजनाओं को भी जेंडर बजट में शामिल किया जाता है जिनका महिलाओं से संबंध व्यापक या अप्रत्यक्ष होता है। यह दृष्टिकोण कुछ हद तक उचित हो सकता है, क्योंकि सार्वभौमिक सेवाएँ महिलाओं को भी लाभ देती हैं; लेकिन इससे यह जोखिम पैदा होता है कि वास्तविक महिला–केंद्रित या परिवर्तनकारी निवेश की पहचान धुंधली पड़ जाए (CPPR, 2024; Outlook Hindi, 2022)।

तीसरी सीमा परिणाम–आधारित संकेतकों और निगरानी की कमजोर व्यवस्था है। अनेक मंत्रालय जेंडर बजटिंग की रिपोर्ट तो प्रस्तुत करते हैं, किंतु योजना–स्तर पर gender&disaggregated outcomes, सामाजिक लेखा–परीक्षा, और प्रभाव–मूल्यांकन का सुदृढ़ ढाँचा अभी व्यापक रूप से विकसित नहीं हो पाया है (Drishti IAS, 2017; CPPR, 2024)। इससे नीति–निर्माताओं के लिए यह जानना कठिन होता है कि कौन–से कार्यक्रम वास्तव में लैंगिक समानता को आगे बढ़ा रहे हैं और कौन–से केवल औपचारिक रिपोर्टिंग तक सीमित हैं।

चौथी सीमा यह है कि जेंडर बजटिंग का उपयोग अभी भी अक्सर महिला–कल्याण योजनाओं की दृश्यता तक सीमित रहता है, जबकि लैंगिक समानता के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, सुरक्षित आवागमन, डिजिटल समावेशन, शहरी सेवाएं, भूमि अधिकार, ऋण तक पहुंच और औपचारिक रोजगार सहायता जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है (Drishti IAS, 2024; CPPR, 2024)। यदि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता पाते हैं, तो जेंडर बजट संरचनात्मक असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाता।

जेंडर बजट और वास्तविक लैंगिक समानता का प्रश्न– जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक योजनाओं के विस्तार से प्राप्त नहीं होती। महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले अनेक कारककृजैसे अवैतनिक देखभाल–कार्य, सामाजिक मानदंड, श्रम–बाज़ार की संरचना, संपत्ति पर नियंत्रण, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और डिजिटलीकरण तक पहुँचकृवित्तीय व्यय से जुड़े तो हैं, किंतु सीधे तौर पर केवल एक बजट–शीर्षक से हल नहीं होते (Drishti IAS, 2024; CPPR, 2024)। भारत में यह देखा गया है कि जेंडर बजटिंग ने महिलाओं से संबंधित व्यय को अधिक दृश्यमान बनाया है, लेकिन महिला श्रमबल भागीदारी और आर्थिक एजेंसी जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति इस बात का संकेत देती है कि बजट की संरचना और सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है (Drishti IAS, 2024)। इसलिए जेंडर बजटिंग को महिला लाभार्थी–केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर महिला नागरिक–केंद्रित और अधिकार–आधारित दृष्टिकोण से देखना अधिक उपयुक्त होगा। इसका एक व्यावहारिक अर्थ यह है कि केवल महिला–विशेष योजनाओं की संख्या या राशि बढ़ाना पर्याप्त नहीं; बल्कि यह भी आवश्यक है कि मुख्यधारा की आर्थिक, शहरी, परिवहन, श्रम, कौशल और डिजिटल नीतियों को लैंगिक दृष्टि से पुनर्रचित किया जाए। जेंडर बजटिंग का सबसे बड़ा वादा यही है कि वह सरकार की संपूर्ण नीति प्रणाली को अधिक न्यायोन्मुख बना सकती है (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2017)।

नीतिगत सुझाव– भारत में जेंडर बजटिंग को अगले चरण में प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि इसे स्पष्ट परिणाम–सूचकांकों से जोड़ा जाए। प्रत्येक मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह केवल व्यय–आवंटन न बताए, बल्कि यह भी बताए कि उस व्यय से महिलाओं की पहुँच, भागीदारी, गुणवत्ता और जीवन–परिणामों में क्या परिवर्तन हुआ। उदाहरणार्थ, शिक्षा मंत्रालय केवल बालिका–हितकारी व्यय न बताए, बल्कि माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की निरंतरता, उच्च शिक्षा में भागीदारी और सुरक्षित संस्थागत पहुँच जैसे संकेतकों की रिपोर्ट करे (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2017)।

दूसरा, देखभाल अर्थव्यवस्था को जेंडर बजटिंग के केंद्र में लाना होगा। भारत में महिलाओं के समय का बड़ा हिस्सा अवैतनिक घरेलू और देखभाल–कार्य में व्यतीत होता है, जिसके कारण उनकी शिक्षा, कौशल–विकास, श्रमबल भागीदारी और सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति प्रभावित होती है। इसलिए क्रेच, सामुदायिक देखभाल केंद्र, आंगनवाड़ी सुदृढ़ीकरण, पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, वृद्धजन देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना पर व्यय को जेंडर बजट का केंद्रीय स्तंभ बनाया जाना चाहिए (Drishti IAS, 2024; PIB, 2025)।

तीसरा, महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। कौशल, उद्यमिता, बाजार–संपर्क, सस्ती ऋण–सुविधा, डिजिटल वित्त, सुरक्षित कार्य–परिवेश और शहरी–ग्रामीण परिवहन में लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील निवेश से महिलाओं की श्रमबल भागीदारी और आय–सृजन क्षमता बढ़ सकती है। यदि जेंडर बजट महिलाओं को केवल लाभार्थी बनाए रखता है और उत्पादक आर्थिक एजेंसी विकसित नहीं करता, तो उसकी परिवर्तनकारी क्षमता सीमित रहेगी (Drishti IAS, 2024; CPPR, 2024)।

चौथा, जेंडर बजटिंग को राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों तक अधिक गहराई से विस्तारित करना होगा। केंद्र स्तर की पहल महत्त्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं के दैनिक जीवन से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे स्थानीय परिवहन, शहरी सुरक्षा, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल अवसंरचना, स्थानीय बाज़ार और पुलिसिंगकृराज्य और स्थानीय संस्थाओं के नियंत्रण में आते हैं। अतः वास्तविक लैंगिक समानता के लिए उपराष्ट्रीय लिंग बजट को संस्थागत समर्थन और वित्तीय दिशा दोनों मिलनी चाहिए (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2017)।

पाँचवाँ, जेंडर बजटिंग की प्रशासनिक संरचना को तकनीकी रूप से मजबूत करना आवश्यक है। मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग सेल को केवल औपचारिक इकाई न रहने देकर उन्हें डेटा, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अंतर्विभागीय समन्वय की शक्ति दी जानी चाहिए।

साथ ही, लिंग–विभाजित डेटा सिस्टम और सार्वजनिक डैशबोर्ड विकसित कर पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है (PIB, 2005; CPPR, 2024)।

छठा, जेंडर बजटिंग को अंतरविभाजित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सभी महिलाएँ एक समान स्थिति में नहीं होतीं; ग्रामीण महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाएँ, अल्पसंख्यक महिलाएँ, दिव्यांग महिलाएँ और शहरी गरीब महिलाएँ भिन्न प्रकार की वंचनाओं का अनुभव करती हैं। यदि बजट विश्लेषण इन अंतरों को नहीं पहचानता, तो लैंगिक समानता की नीति औसत महिला की अमूर्त कल्पना तक सीमित रह जाएगी (Drishti IAS, 2024; CPPR, 2024)।

निष्कर्ष– भारत में जेंडर बजटिंग की यात्रा यह दर्शाती है कि लैंगिक समानता को सार्वजनिक वित्त की भाषा में अनुवादित किया जा सकता है। 2005–06 में औपचारिक शुरुआत से लेकर 2025–26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये और कुल केंद्रीय बजट के 8.86 प्रतिशत हिस्से तक पहुँचना इस प्रक्रिया की संस्थागत परिपक्वता का संकेत है (PIB, 2005, 2025)। अधिक मंत्रालयों की भागीदारी, विस्तृत रिपोर्टिंग और बड़े सामाजिक कार्यक्रमों का समावेशन यह दिखाता है कि जेंडर बजटिंग अब प्रशासनिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। फिर भी, केवल बजट का आकार बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। यदि जेंडर बजटिंग को वास्तविक लैंगिक न्याय का साधन बनना है, तो उसे व्यय–आवंटन से आगे बढ़कर परिणाम, प्रभाव और संरचनात्मक परिवर्तन से जोड़ना होगा। महिलाओं के समय, श्रम, सुरक्षा, आय, संपत्ति, प्रतिनिधित्व और गरिमा में ठोस सुधार ही जेंडर बजटिंग की वास्तविक कसौटी होने चाहिए (CPPR, 2024; Drishti IAS, 2017)। इस प्रकार, भारत के लिए अगला नीतिगत चरण स्पष्ट है: जेंडर बजटिंग को अधिक मापनीय, अधिक पारदर्शी, अधिक विकेन्द्रीकृत और अधिक परिवर्तनकारी बनाया जाए। यही दृष्टिकोण जेंडर बजट को लेखा–श्रेणी से आगे बढ़ाकर सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रभावी उपकरण बना सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Government of India. (2026). EÛpenditure profile 2026–2027: Statement 13. India Budget. https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat13.pdf
2. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). (2005, June 16). समावेशन को बढ़ाएगा जेंडर बजट. भारत सरकार. https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154815&ModuleId=3&reg=3&lang=2
3. Drishti IAS. (2017, January 13). भारत में लैंगिक असमानता और 'जेंडर बजटिंग'.. https://www.drishtiias com/daily-updates/daily-news-editorials/in-india-gender-inequality-and-gender-budgeting
4. आउटलुक हिंदी. (2022] January 31)- भारतीय जेंडर बजट की डिकोडिंग. https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/budget/decoding-of-indian-gender-budget-65121
5. Drishti IAS. (2024, March 19). India's progress in gender equality. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/india-s-progress-in-gender-equality
6. Centre for Public Policy Research. (2024, August 1). An analysis of past gender budgets in India. https://www.cppr.in/articles/an-analysis-of-past-gender-budgets-in-india
7. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). (2025, February 1). मुख्य बातें: वर्ष 2025–26 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजट आवंटन. भारत सरकार. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098959
8. Drishti IAS- (2025, February 2) जेंडर बजट 2025-26. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/gender-budget-2025-26

*****